पूर्व मध्य रेल
परिचालन बुलेटिन सं 01/2025
OPERATING BULLETIN NO. 01/2025

बिना गार्ड के मालगाड़ियों का संचालन सामान्य एवं सहायक नियम 4.25 के अनुसार किया जाना चाहिए । सहायक नियम 4.25 को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है -

बिना गार्ड के मालगाड़ियों का परिचालन:- अपवादस्वरूप परिस्थितियों में बिना गार्ड के मालगाड़ियाँ सीनियर डी.ओ.एम.के विशिष्ट आदेश से चलेंगी एवं ऐसे आदेशों का अभिलेख संबंधित नियंत्रण कक्ष में एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा। बिना गार्ड के गाड़ी चलने की स्थिति में गार्ड के वे कर्तव्य जो लोको पायलट के द्वारा संपादित किये जा सकते हैं, संपादन का दायित्व लोको पायलट सहायक लोको पायलट पर होगा। ऐसी सभी परिस्थितियों में निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जानी चाहिए-

क. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाड़ी में निरन्तर निर्वात/एयरप्रेशर इंजन से सबसे पिछला वाहन जो ब्रेकवान भी हो सकता है, तक होना चाहिए। यदि मध्यवर्ती स्थान या क्रू बदलाव वाले स्टेशन पर कोई गार्ड प्रदान नहीं किया जा सकता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित किये जाने पर लोको पायलट गाड़ी के ब्रेक शक्ति की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि गाडी चलाना संरक्षित है। ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रेकवान में आवश्यक मात्रा में निर्वात/ एयरप्रेशर उपलब्ध है। प्रारंभिक स्टेशन द्वारा वैक्यूम गेज/एयरप्रेशर गेज प्रदान किया जाएगा ।

ख. **लोको पायलट को अनिवार्य रूप से अंतिम वाहन संकेतक उपलब्ध कराया जाना** - लोको पायलट को दिये गये/उपलब्ध कराये गये अंतिम वाहन संकेतक को निश्चित रूप से सबसे पिछला वाहन के पिछले छोर पर लगाया जायेगा। रात्रि काल में ऐसी गाडियों के परिचालन हेतु टेललैम्प अनिवार्य है।

ग. **स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करना** - लोको पायलट को सर्तकता आदेश जारी किया जाएगा । जिसमें विशेष उल्लेख कर बताया जाएगा कि गाडी बिना गार्ड के चलनेवाली है और सेक्शन नियंत्रक को भी प्राईवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इस तथ्य को सूचित किया जाएगा जो मार्ग के स्टेशनों को सूचित करेंगे। स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या प्राप्त होने पर छोर के केबिन (इन्ड केबिन),जहाँ हों,और मार्ग के सभी टेलीफोन से युक्त समपार फाटकों के फाटकवाला को तदनुकूल प्राईवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित किया जायेगा।

घ. **इंटरमीडियट ब्लॉक पोस्ट (आई.बी.पी.) को नियंत्रित करनेवाले ब्लॉक स्टेशन मास्टर के स्टेशन मास्टर** - यह जानकर कि गाड़ी बिना गार्ड के चल रही है, इस गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आई.बी.पी. तक नहीं भेजेगा जब तक कि बिना गार्ड के मालगाड़ी अगले स्टेशन पहुँच नहीं जाती है।

ङ. **फाउलिंग मार्क साफ सुनिश्चित करना** - जब कोई ऐसी गाडी किसी स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन मास्टर/केबिनमैन सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी का पूर्ण आगमन हो गया है और गाडी फाउलिंग मार्क को साफ कर खड़ी है।

च. **परिचालन की मनाही** - धुंध वाले मौसम, संचार साधनों की पूर्ण विफलता तथा दोहरीलाईन पर एकहरी लाईन कार्यप्रणाली लागू रहने के अवधि में बिना गार्ड के गाडियों के परिचालन की सख्त मनाही है।

छ. लोको पायलट को अतिरिक्त पटाखा सिगनल अपने साथ रखना चाहिए जो गाड़ी के आगे और पीछे दोनों ओर गाड़ी के रक्षा हेतु जिम्मेवार होगा।

ज. दुर्घटना, विफलता, बाधा या अन्य विशिष्ट कारणों से जब ऐसी गाड़ी स्टेशनों के मध्य रुक जाती है एवं लोको पायलट पाता है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है तो वह तत्काल सामान्य नियम 6.03 से अनुरूप गाडी की रक्षा आगे एवं पीछे दोनों ओर करेगा। रक्षा हेतु जाते समय इंजन को खाली नहीं छोड़ा जाएगा यदि वह रेल पटरी पर हो।

झ. **स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में** - जब तक आगे जाने वाली गाड़ी जिसे बिना गार्ड के चलने की अनुमति दी गयी है, जब तक अगले रिपोर्टिंग स्टेशन पर सम्पूर्ण पहुँच न गयी हो तब तक किसी गाड़ी को अनुगमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ञ. **बिना गार्ड के चलने वाली गाड़ी में जब मार्ग में वैक्यूम / एयरप्रेशर संबंधी पेरशानी होती है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे: -**

i. सहायक लोको पायलट को पूरी गाड़ी में लीकेज होस/एयरप्रेशर पाईप विच्छेद इत्यादि की जाँच कर उसे देखना चाहिए। यदि स्टेशन सीमा में वैक्यूम/ एयरप्रेशर की परेशानी होती है तो कैरेज एवं वैगन कर्मचारी या काँटावाला/ पोर्टर की सहायता लिया जाएगा ।

ii. सहायक लोको पायलट को सुनिश्चित करना चाहिए कि सिवाय अंतिम वाहन के पिछले ऐंगल कॉक के सभी एयरब्रेक युक्त वैगनों के कट ऑफ ऐंगल कॉक खुली स्थिति में है।

iii. सहायक लोको पायलट को अंतिम वाहन के ब्रेकवान वल्व/कट ऑफ ऐंगल कॉक को संचालित कर वैक्यूम/ एयरप्रेशर की निरन्तरता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

iv. लोको पायलट को प्रथम ब्लॉक सेक्शन में अपने द्वारा किये गये 'फील टेस्ट' के आधार पर गाडी की गति नियंत्रित करनी चाहिए ।

टिप्पणी :

क. यात्री वहन करने वाली गाड़ियों को बिना गार्ड के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. ऐसी माल गाड़ियाँ जिनमें अंतिम वाहन ब्रेकवान नहीं हो, को बिना गार्ड के परिचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ग. जब कोच/ सैलून जिनमें कोई यात्री नहीं चल रहा हो, अधिकतम दो की संख्या में जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना हो तो गाड़ी के अंतिम वाहन के पीछे टेलबोर्ड/ टेललैम्प लगा रहना पर्याप्त है और किसी गार्ड की आवश्यकता नहीं है । वैक्यूम/एयरप्रेशर की निरन्तरता अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।"

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.08.28 13:17:32 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं - ई.सी.आर./ परि.सं./ ऑपरेटिंग बुलेटिन/87/505, दिनांक 28.08.2025

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरि.मं.परि. प्रबंधक/ धनबाद,दानापुर,डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
4. प्राचार्य / क्षे.रे.प्र. संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।